न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 189/2020
निर्णय दिनांक : 13/01/23

उनवान

1. कजोड पुत्र प्रताप
2. बाबूलाल पुत्र प्रताप
3. मोती पुत्र प्रताप
4. रामू पुत्र प्रताप

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. प्रभूनारायण पुत्र छोटूराम
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटूराम
समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
3. भगवान गुर्जर पुत्र श्री छीतरमल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदरामपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि खसरा न0 235 रकबा 0.32 है0 खसरा नम्बर 414 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना भू अभिलेख क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 1/4 रिकार्ड में अंकित है। उक्त आराजीयात को वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक व दो मनबट के आधार पर बंटवारा कर कृषि काश्त करते आ रहे है किन्तु उक्त आराजीयात का अभी तक विधिवत बटवारा नही हुआ है तथा वादीगण अपनी आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 0.32 है0 पर अर्सेदराज से काबिज काश्त है क्योकि उक्त भूमि के अलावा वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक व दो की अन्य आराजीयात कृषि भूमि सामलाती थी जो रिंगरोड़ में अवाप्त होने के बाद कुछ भूमि शेष रही जिसमें प्रतिवादी संख्या एक व दो काबिज काश्त रहे तथा वादीगण खसरा नम्बर 235 रकबा 0.32 है0 के चारो ओर तार बाउण्डरी कर रखी है जिसको काफी धन व श्रम खर्च कर उपजाउ बना रखा है तथा अपने हिस्से की भूमि का उपभोग उपयोग कर रहा रहे है तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो अपनी आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.14 है0 पर काबिज काश्त है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या एक व दो को कब्जे के अनुसार बंटवारा करने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या एक व दो ने कहा कि हम आपके कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 0.32 है0 पर कब्जा करेंगे और बंटवारा करने से मना कर दिया। वादीगण के बार बार बंटवारा करने के लिए कहने पर भी प्रतिवादी संख्या एक व दो ने वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 0.32 है0 पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने की धमकी देते रहे है। तथा प्रतिवादी सख्या एक व दो ने वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 235 में अपने हिस्से को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karn[illegible]
Date: 2023.06.06 11:51:33 IS[illegible]
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

दिनांक 27.01.2020 को प्रतिवादी संख्या तीन को विक्रय कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण को विक्रय पत्र की नकल दिनांक 6.03.2020 को प्राप्त होने से हुयी। दिनांक 05.03.2020 को प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन कुछ दिगर व्यक्तियो के साथ वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर आये और वादीगण के कब्जे भूमि की तारबन्दी तोड़ना चाहा तो वादीगण ने मना किया और कहा कि उक्त भूमि हमारे कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर हम असेंदराज से काबिज काश्त है जिस पर प्रतिवादी संख्या एक व दो से क्रय कर लिया है तथा धमकी दी की मै भविष्य उक्त भूमि पर कब्जा कर आपको जबरन बेदखल कर दूंगा। इस कारण वादीगण को यह वाद वास्ते तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। वादीगण बंटवारा करवाने की अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा नं0 एक मे वर्णित आराजी कृषि खसरा नम्बर 235 रकबा 0.32 है0 मे कब्जे के आधार बंटवारा कर अलग से खाता बनवाया जाये तथा उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या एक व दो को खसरा नम्बर 414 रकबा 0.14 है0 का बंटवारा कर अलग से खाता बनाकर उसी अनुसार लगान निर्धारण किया जावे। प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक उक्त आराजियात का विधिवत बंटवारा नही हो जाता तब तक उक्त आराजियात मे किसी प्रकार तार बाउण्डरी तोड़कर जबरन कब्जा नही करे ऐसा न स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट ठेकेदार इत्यादि से करावे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे। प्रतिवादी संख्या चार को राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया वाद कारण दिनांक 5.3.2020 को जब शुरू हुआ जब प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन कुछ दिगर व्यक्तियो के साथ वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर आकर तार बाउण्डरी तोड़ना चाहा तथा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को दिनांक 18.03.2020 को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 23.12.2020 को पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री भौरीलाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 08.07.2021 को पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया, पत्रावली में शामिल मिसल है। दिनांक 23.09.2021 को पत्रावली पेश हुई, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादीगण व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 23.09.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 10.11.2021 से पूर्व भिजवाई जावे।

तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक म0अ0/2022/4184 दिनांक 27.05.2022 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी [illegible] में शामिल मिसल की गयी। बहस उभयपक्षकारान की [illegible] दौरान बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर [illegible] प्रस्तुत पेश नही की एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तकासमा किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnan
Date: 2023.06.06 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

भू–अभिलेख क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है आराजी कृषि भूमि खसरा न0 235 रकबा 0.32 है0 खसरा नम्बर 414 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.46 है0 का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार				
खातेदार का नाम जमाबन्दी के अनुसार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
कजोड़ पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, प्रभूनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, बाबूलाल दत्तक पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, मोती पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, रामू पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह	235 414	0.3230 0.1400	बरानी 1 चही ए	2.42 6.02
कुल किता	02	0.4630		8.4400

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार					
प्रस्तावित खातेदारों का नाम मय हल्दीयत	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
1. कजोड़ पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, बाबूलाल दत्तक पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, मोती पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, रामू पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह	235/मि. 235/मि. 414/मि.	0.0469 0.0826 0.0700	बरानी 1 बरानी 1 चाही ए	0.35 0.62 3.01	
कुल किता	3	0.1982		3.98	
2. प्रभूनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/2 जाति कुम्हार सा0 देह, लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/2 जाति कुम्हार सा0 देह	235/मि. 235/मि. 414/मि.	0.0469 0.0826 0.0700	बरानी 1 बरानी 1 चाही ए	0.35 0.62 3.01	
कुल किता	3	0.1982		3.98	
3. कजोड़ पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, प्रभूनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, बाबूलाल दत्तक पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, मोती पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, रामू पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह	235/मि.	0.0640	बारानी 1	0.48	
कुल किता	1	0.0640		0.48	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnar
Date: 2023.06.06 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जावे। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/01/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.06.06 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **उप खण्ड अधिकारी,** जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास एकता काबरा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 189/2020

उनवान

1. कजोड़ पुत्र प्रताप
2. बाबूलाल पुत्र प्रताप
3. मोती पुत्र प्रताप
4. रामू पुत्र प्रताप

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. प्रभूनारायण पुत्र छोटूराम
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटूराम

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

3. भगवान गुर्जर पुत्र श्री छीतरमल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदरामपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना भू–अभिलेख क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है आराजी कृषि भूमि खसरा न0 235 रकबा 0.32 है0 खसरा नम्बर 414 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.46 है0 का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार				
खातेदार का नाम जमाबन्दी के अनुसार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
कजोड़ पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, प्रभूनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, बाबूलाल दत्तक पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, मोती पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, रामू पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह	235 414	0.3230 0.1400	बरानी 1 चाही प [illegible]	2.42 [illegible]
कुल किता	02	0.4630		8.4400

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.06.06 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित खातेदारों का नाम मय हल्दीयत	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	वि. वि.
		प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार			
1. कजोड़ पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, बाबूलाल दत्तक पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, मोती पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, रामू पुत्र प्रताप हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह	235/मि. 235/मि. 414/मि.	0.0469 0.0826 0.0700	बरानी 1 बरानी 1 चाही ए	0.35 0.62 3.01	
कुल किता	3	0.1982		3.98	
2. प्रभूनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/2 जाति कुम्हार सा0 देह, लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/2 जाति कुम्हार सा0 देह	235/मि. 235/मि. 414/मि.	0.0469 0.0826 0.0700	बरानी 1 बरानी 1 चाही ए	0.35 0.62 3.01	
कुल किता	3	0.1982		3.98	
3. कजोड़ पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, प्रभूनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह, बाबूलाल दत्तक पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, मोती पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, रामू पुत्र प्रताप हि0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह, लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह	235/मि.	0.0640	बारानी 1	0.48	
कुल किता	1	0.0640		0.48	

तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जावे। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/01/23 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..........
ओहदा..........
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnan
Date: 2023.06.06 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)